छुट्टन बनाम मन्नू(प्रा.पत्र)
मु.नं. 76/2020

22.11.2024

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम खानपुर तहसील महवा की निम्नांकित आराजी खाता सं 151 के खसरा नम्बर 562 हैक्टर व खाता सां. 152 के खसरा 563, 564, 565, 566 कुल किता 4 कुल रकबा 1.56 हैक्टर व खाता सं. 153 के खसरा नम्बर 460, 461, 463, 464, 465, 466, 468, 504, 506, 507, 508, 509, 536 कुल किता 13 कुल रकबा 3.17 हैक्टर व खाता सं. 154 के खसरा नम्बर 505 रकबा 0.02 हैक्टर व खाता सं. 155 के खसरा नम्बर 462, 535 कुल किता 2 कुल रकबा 17 ऐयर में प्रार्थी की आराजी को अप्रार्थी द्वारा रहन वय बेचान करने की धमकी देने से विवाद उत्पन्न हुआ है। प्राईमाफेसी केस एवं सुविधा का संतुलन प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में साबित है। अतः अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी उपस्थित हुए लेकिन पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रार्थना पत्र का जबाव पेश नहीं किया गया इसलिये अप्रार्थी का जबाव प्रार्थना पत्र बंद किया गया।

हमने वकील उभय पक्ष की वहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत् 2071–74 का अवलोकन करने पर पाया कि उक्त वर्णित आराजी उभय की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। यदि अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो अप्रार्थी प्रार्थी की आराजी पर कब्जा कर सकता है जिससे प्रार्थी को अपूरनीय क्षति होना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना न्याय संगत है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वादपत्र के निर्णय तक पाबंद किया जाता है कि ग्राम खानपुर तहसील महवा की निम्नांकित आराजी खाता सं 151 के खसरा नम्बर 562 हैक्टर व खाता सां. 152 के खसरा 563, 564, 565, 566 कुल किता 4 कुल रकबा 1.56 हैक्टर व खाता सं. 153 के खसरा नम्बर 461, 463, 464, 465, 466, 468, 504, 506, 507, 508, 509, 536 कुल किता 13 कुल रकबा 3.17 हैक्टर व खाता सं. 154 के खसरा नम्बर 505 रकबा 0.02 हैक्टर व खाता सं. 155 के खसरा नम्बर 462, 535 कुल किता 2 कुल रकबा 17 ऐयर में प्रार्थी के हिस्सा तक मूल वाद के निस्तारण तक रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद संलग्न रहे।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
महवा जिला द